



समक्ष सुदक्ष मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रमांक...../निग./2019

निगरानी-0444/2019/सीहोर/93400

राम जानकी मंदिर ग्राम कचनारिया द्वारा

व्यवस्थापक पटेल बटनलाल आ० स्व. दौलतराम

जाति कुडमी आयु 70 वर्ष, निवासी-ग्राम कचनारिया

तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म०प्र०.....निगरानीकर्ता।

विरुद्ध

बद्रीप्रसाद आ० हरिप्रसाद जाति कुडमी आयु 60 वर्ष,

निवासी ग्राम-कचनारिया तहसील श्यामपुर

जिला सीहोर म०प्र० .....रेस्पॉण्डेंट्स।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 05.07.2018 प्रकरण क्रमांक 57/अपील/2017-18 बद्रीप्रसाद विरुद्ध राम जानकी मंदिर ग्राम कचनारिया पारित द्वारा श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल म०प्र०.

श्रीमानजी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर निम्नांकित तथ्यो एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

-::: प्रकरण के तथ्य :::-

1. यह कि निगरानीकर्ता के हित में अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने रेस्पॉण्डेंट्स के आवेदन पत्र पर प्रकरण क्रमांक 67-अ/2015-16 पंजीबद्ध कर दिनांक 12.04.2016 को नामांतरण आदेश पारित किया है।

2. यह कि उपरोक्त नामांतरण आदेश को रेस्पॉण्डेंट्स ने 135- अपील /2015-16 को प्रस्तुत कर माननीय अनविभागीय अधिकारी महोदय ग्रामपार

श्री. सुधीर कुमार शर्मा  
आदेश द्वारा 29-3-1991  
उत्तरांचल  
29/3/19

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक

R-446/2019 (A) 2 / Rev.

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषका  
आदि के हस्ताक्षर

29-3-2019

आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0गुरोदिया उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्रहय की जाती है ।

  
AS

  
अध्यक्ष